



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224458
CG-DL-E-15012021-224458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 172]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

का.आ. 192(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1049(अ) दिनांक 12 मार्च, 2020, का.आ. 2226(अ) दिनांक 06 जुलाई, 2020, का.आ. 3168(अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2020 तथा का.आ. 3856(अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 के अनवरत क्रम में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), श्री बंसी लाल भट्ट, सदस्य (न्यायिक) का कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के रूप में कार्यकाल दिनांक 01.01.2021 से तीन महीना की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है।

[फा.सं. ए-40012/1/2020-प्रशासन-IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: प्रमुख अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2020 के का.आ. सं. 1049(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2021

S.O. 192(E).—In continuation of this Ministry's notifications S.O. 1049(E) dated 12th March, 2020, S.O. 2226(E) dated 06th July, 2020, S.O. 3168(E) dated 17th September, 2020 and S.O. 3856(E) dated 28th October, 2020, the term of office of Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat, Member (Judicial) as officiating Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) is extended for a period of three months w.e.f. 01.01.2021 or till the appointment of regular Chairperson in NCLAT or until further orders, whichever is the earliest.

[F.No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.1049(E), dated the 12th March, 2020.